



प्रेषक,

रवि रंजन,

विशेष सचिव,

उOप्रO शासन

सेवा में,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2026

विषय:- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में SNA-SPARSH व्यवस्था में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन(पीOएमO-अभीम) के अन्तर्गत प्रथम किशत के रूप में अनुदान संख्या-83 के राजस्व लेखा मद में निर्गत Mother Sanction केन्द्रांश की धनराशि रू0 553.52 लाख के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 369.01 लाख कुल रू0 922.53 लाख की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पOकO/4-बजट/PM-ABHIM/2026-27/126, दिनांक 13.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि SNA स्पर्श व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन(पीOएमO-अभीम) के अन्तर्गत प्रथम किशत के रूप में निर्गत मदर-सैंक्शन में अनुदान संख्या-83 राजस्व लेखा, लेखाशीर्षक-2211 परिवार कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 03-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन 3991, 0301—चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.) 3991-यूपी 213, 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 553.52 लाख (रूपये पाँच करोड तिरेपन लाख बावन हजार मात्र) तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 369.01 लाख (रूपये तीन करोड उनहत्तर लाख एक हजार मात्र) सहित कुल धनराशि रू0 922.53 लाख (रूपये नौ करोड बाईस लाख तिरपन हजार मात्र) को प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

- (1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उOप्रO द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उOप्रO का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उOप्रO द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उOप्रO स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
- (5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उOप्रO द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
- (6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उOप्रO स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
- (7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उOप्रO स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(8) केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,22,53,000 (रुपये नौ करोड़ बाईस लाख तिरेपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2211007890301 चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-25/दस-2026-27, दिनांक 27 मई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-61/2026/908(1)/001-5-9002-099-5-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2. महालेखाकार(द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
4. मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन०एच०एम०, लखनऊ।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
9. वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
10. कम्प्यूटर सेल/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।